तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./2560/2005/जयपुर सरकार बनाम झूमरलाल	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री खुर्शीद अनवर, उपराजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री हिमांशु सोगानी, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या– 5
अन्य की तरफ से कोई हाजिर नहीं।

निर्णय

दिनांक 16.04.2024

यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रथम), जयपुर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या– 46/2001 बउनवानी सरकार बनाम झूमरलाल में पारित अपने निर्णय दिनांक 11–03–2005 से मंडल हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त राजस्व आराजी खसरा नंबर 521, 522 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार लक्ष्मण मीणा था। जिसका नामांतरण संख्या–317 मोतीराम पारीक सामान्य जाति के नाम दर्ज हुआ है जोकि धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेफरेंस सही प्रेषित किया गया है। अतः उक्त रेफरेंस स्वीकार किया जाकर उक्त खातेदारी को वापस निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या– 5 का तर्क है कि विवादित नामांतरण संख्या– 317 न्यायालय के आदेश की पालना में खुला है और प्रारंभतः उक्त भूमि सामान्य व्यक्ति के काश्त की थी लेकिन सेटलमेंट के दौरान उक्त भूमि का पर्चा लक्ष्मण के नाम बन गया खातेदारी कभी नहीं थी और उक्त पर्चे को निरस्त करवाने के लिए मोतीलाल द्वारा दावा पेश किया गया था और उसे दावे में अंतिम निर्णय राजीनामे से हुआ और उक्त पर्चा खारिज किया गया। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेफरेंस विधि विरुद्ध पेश किया गया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी बिना किसी आधार के उक्त रेफरेंस मंडल हाजा में प्रेषित किया गया है इसलिए रेफरेंस को खारिज किया जावे। आगे बहस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./2560/2005/जयपुर सरकार बनाम झूमरलाल	नम्बर व तारीख

में यह भी तर्क किया गया है कि 317 का जो नामांतरण खुला है वह मोतीलाल की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान को खुला है और अप्रार्थी संख्या– 5 ने खरीद किया है इसलिए वह नामांतरण भी सही है। किसी प्रकार से अवैध नहीं है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार जयपुर ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर प्रथम के यहां रेफरेंस इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि खसरा नंबर 521, 522 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार लक्ष्मण मीणा था और उक्त भूमि का नामांतरण संख्या– 317 मोतीराम के नाम दर्ज हो गई और जबकि मीणा जाति के व्यक्ति का सामान्य जाति के व्यक्ति के नाम स्वीकार नहीं हो सकता और इसी के पश्चात नामांतरण संख्या 557, 754 और 768 भी अस्तित्व में है इसलिए उक्त सभी नामांतरण निरस्त किए जाए। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आधार पर नामांतरण को विधि विरुद्ध मानते हुए यह रेफरेंस पेश किया है अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि– भूमि खसरा नंबर 521, 522 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा का हस्तांतरण मोतीराम पुत्र रामप्रसाद पुरोहित के पक्ष में दर्ज होकर दिनांक 05–12–1971 को ग्राम पंच द्वारा स्वीकार किया गया है और उसकी विरासत का नामांतरण संख्या– 557 खुला है और जुगल के फौत होने पर नामांतरण संख्या– 754 कमल किशोर खुला है और उनके द्वारा बेचान करने पर अनिल बिश्नोई के नाम नामांतरण संख्या– 768 स्वीकार हुआ है लेकिन नामांतकरण संख्या– 317 धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध होने से प्रभाव शून्य होना अंकित करते हुए यह रेफरेंस पेश किया है।

मिसल एएसओ सवाईराज जयपुर दर्ज दिनांक 21–07–1950 फैसला दिनांक 27–01–1960 बउनवान मोतीलाल बनाम बलवंत, लक्ष्मण वगै0 की प्रथम आदेशिका दिनांक 21–06–1950 से यह प्रकट है कि मोतीराम द्वारा सेटलमेंट की कार्यवाही को चुनौती दी गई है और प्रार्थनापत्र की सत्यप्रति पेश की गई है जिसमें यह उल्लेख है कि खसरा नंबर 521 बुजरगान की बनायी हुई है। दरख्त(पेड) आमों के है और शीशम, नीम, जामुन के पेड भी लगाये हुए है और कब्जा प्रार्थी का है। पेमाईश करने गए बंदोबस्त वालों ने लक्ष्मण के नाम कर दिया और उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 20–04–1950 का प्रस्तुतिकरण है जिसपर आगे कार्यवाही की गई है अर्थात् मोतीराम द्वारा सेटलमेंट के पर्चा को ही चुनौती दी गई है और प्रारंभ से ही उक्त बंदोबस्त कार्यवाही को विधिविरूद्ध बताया है। इस प्रकरण का निर्णय दिनांक 27–01–1960 को हुआ जिसके विरूद्ध मोतीलाल ने अपील एसओ जयपुर में पेश की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./2560/2005/जयपुर सरकार बनाम झूमरलाल	नम्बर व तारीख

गई जो मिसल नंबर 241 एसओ मोतीलाल बनाम लक्ष्मण, बलवंत वगै0 बनाराजगी एएसओ जयपुर आदेश दिनांक 27–01–1960 के विरूद्ध की गई अपील का निस्तारण दिनांक 18–07–1960 को किया गया और रिमांड किया गया। तत्पश्चात् मामला उपखंड अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आने से उपखंड अधिकारी, जयपुर द्वारा मामले का निस्तारण दिनांक 29–03–1961 को किया गया और उसमें स्वयं लक्ष्मण के बयान हुए है और उसने बयान में कथन किया है कि विवादित भूमि पर मेरा कोई कब्जा नहीं था इस प्रकार यह मामला अनुसूचित जनजाति की भूमि का सामान्य जाति के नाम अंतरित होने का नहीं है बल्कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रारंभ होने से पूर्व से ही बंदोबस्त द्वारा पर्चा लगान गलत बनने से मोतीराम द्वारा चुनौती दी गई है और बंदोबस्त से पूर्व लक्ष्मण राम के नाम जमीन रही हो इस बाबत् राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात अभिलेख पर नहीं है और मोतीलाल ने सेटलमेंट के दौरान ही लक्ष्मण के नाम पर्चा बनने को चुनौती दी है। उस प्रकरण का अंतिम आदेश मोतीराम के पक्ष में हुआ है और उसके आधार पर नामांतरण खोला गया है इसलिए राजकीय अधिवक्ता का यह कथन की अनुसूचित जनजाति की भूमि सामान्य व्यक्ति के नाम नामांतरण तस्दीक किया गया है विधिसम्मत नहीं है और मानने योग्य नहीं है। प्रारंभतः उक्त भूमि मोतीराम स्वयं के खुद काश्त की जमीन होना बताई गई है लेकिन बंदोबस्त विभाग द्वारा लक्ष्मण मीणा के नाम दर्ज करने से विवाद पैदा हुआ और उस प्रविष्टि को मोतीराम द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई और अंतिमतः उपखंड अधिकारी द्वारा निर्णय मोतीराम के पक्ष में दिया गया है इस प्रकार उक्त समव्यवहार धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत नहीं आता है अधिनियम की भाषा निम्न प्रकार है–

42. विक्रय, दान तथा वसीयत पर सामान्य प्रतिबंध– खातेदार आसामी द्वारा अपने सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र में या उसके भाग में अपने हित की बिक्री दान (गिफ्ट) या वसीयत शून्य होगा यदि–

(क) विलोपित।

(ख) उक्त विक्रय, दान या वसीयत अनुसूचित जाति के किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जाति का नहीं हो अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जनजाति का नहीं हो।

(खख) खण्ड (ख) में किसी बात के होते सहरिया अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./2560/2005/जयपुर सरकार बनाम झूमरलाल	नम्बर व तारीख

उक्त सहरिया जनजाति का सदस्य नहीं है, ऐसा विक्रय, दान या वसीयत।

(ग) विलोपित।

42–क. विलोपित।

42–ख. विक्रय, दान या वसीयत के विधिमान्य होने की घोषणा– जहाँ राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1992 का अधिनियम सं. 22 के प्रारम्भ के पूर्व किसी खातेदार अभिधारी द्वारा अपनी जोत या उसके किसी भाग में से अपनी हित का किया गया कोई भी विक्रय, दान या वसीयत, 1992 के उक्त संशोधन अधिनियम के पूर्व यथा– विद्यमान धारा 42 के खण्ड (क) के उपबंधों में से किसी के भी उल्लंघन के कारण शून्य थी, वहाँ ऐसा विक्रय, दान या वसीयत कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, उसे या ऐसे समय के भीतर – भीतर और ऐसी रीति से किये गये आवेदन पर और ऐसी फीस तथा शास्ति के संदाय पर, जब विहित की जाये, विधिमान्य घोषित की जा सकेगी।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष में व धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रयुक्त शब्दावली जिसमें विक्रय, दान अथवा वसीयत का उल्लेख किया गया है और अंतरण शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन मौजूदा प्रकरण के तथ्यों के अनुसार संपत्ति का अंतरण अथवा स्थानांतरण नहीं हुआ है बल्कि गलत प्रविष्टि का सद्भावी विवाद था जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही था और सक्षम न्यायालय उपखंड अधिकारी द्वारा प्रविष्टि को दुरूस्त करने की आज्ञा दी गई और उस आज्ञा की पालना में ही नामांतरण संख्या– 317 दिनांक 05–12–1971 खोला गया है इसलिए धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं और अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर (प्रथम) द्वारा प्रेषित किया गया रेफरेंस स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचना के परिपेक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस 2560/2005 बउनवानी सरकार बनाम झूमरलाल खारिज किया जाता है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य